

कार्यालय आदेश- 120/17

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं 85/17 पृष्ठांकन सं समसंख्यक दिनांक 28.06.17 के द्वारा श्री श्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा पुत्र स्व. बाल्मीकि मिश्रा, सीसेई / पीवे / इन्दार अंतर्गत समई / मऊ पूर्व को दिनांक 30.06.17 से इनके स्वयं के अनुरोध पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत किया गया था जिसे श्री मिश्रा के अनुरोध पर सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को निरस्त करते हुए ! दिनांक 30.06.17 से कार्य पर वापस आने तक की अवधि को डॉइज-नान स्वीकृत किया गया है ।

उक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश / अनुमोदन प्राप्त है।

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
वाराणसी
दिनांक 05/09/17

सख्या.का/डब्ल्यू/पीसी/सम्पूर्णानन्द मिश्रा

प्रतिलिपि. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. तगई/सभ0
2. वमविप्र/वाराणसी
3. तगई / I, II, III
4. मई (सागान्य)
5. समई / मऊ पूर्व
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका, एमपीपी सेल, मुख्य कार्याधी समापक अनुभाग, एमपीपी सेल
7. सम्बन्धित कर्मचारी
8. मण्डल मंत्री नरभू.अजा.अजा.एशो0 वाराणसी
9. अन्य प्रति

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का0)
वाराणसी